वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 2131

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एंड पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 326 दि 3.5.08

आदेश

विषय: ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के सम्बंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान के बजट भाषण 2008–09 में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की घोषणा के अनुरूप तैयार की गयी योजना को क्रियान्विति के लिये निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. सिर्फ उन्ही आवेदकों को कनेक्शन जारी किया जायेगा जो वर्तमान में स्थापित 11 केवी लाईन से अधिकतम 1 किमी दूरी के अन्दर आते हों।
2. कम से कम 10 आवेदकों का समूह होने पर ही कनेक्शन दिये जायेंगे। जनजाति/रेगिस्तानी जिलों में 6 आवेदकों को भी समूह माना जावेगा।
3. 10 घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिये 5 केवीए का ट्रासफार्मर तथा 10 से अधिक आवेदकों के समूह के लिये 5 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर लगाये जावेंगे।
4. एलटी लाईन के लिये एलटी केबल की लम्बाई 1 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिये।
5. प्रार्थना पत्र की राशि 200 रू. प्रति कनेक्शन होगी जो लौटायी नही जावेगी।
6. प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रू. 3500/– प्रति आवेदक लिये जायेंगे।
7. प्रत्येक समूह के लिये बनने वाली योजना की कुल लागत रू. 2.50 लाख तक सीमित कर बनाई जावेगी।
8. इस योजना के तहत प्रथम चरण में 30 जून 2008 तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
9. 100 से कम जनसंख्या वाली आबादी को प्राथमिकता दी जावेगी (100 से अधिक आबादी की बस्तीयों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में सम्मिलित किया जावेगा) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिनांक 13.03.08 को स्वीकृत 13 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं में 100 से कम आबादी की बस्तीयों को शामिल नहीं किया जावेगा।
10. कनेक्शन देने में प्राथमिकता सबसे ज्यादा आवेदकों की संख्या वाले समूह को दी जावेगी।

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर